प्रेस विज्ञप्ति

19/11/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली आंचलिक कार्यालय ने नोएडा से गैर-कानूनी कॉल सेंटर चलाकर विदेशी नागरिकों के साथ साइबर धोखाधड़ी करने के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में तुषार खरबंदा से संबंधित 11.26 करोड़ रुपये की 7 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में तुषार खरबंदा व उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में पंजीकृत आवासीय संपत्तियाँ शामिल हैं।

ईडी ने तुषार खरबंदा व अन्य के विरुद्ध सीबीआई और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच से पता चला है कि विदेशी नागरिकों को धोखेबाजों ने पुलिस/जांच अधिकारी बनकर ठगा और उन्हें गिरफ्तार करने/बैंक अकाउंट फ्रीज करने की धमकी देकर उनसे भारी रकम ऐंठ ली। पीड़ितों की मौद्रिक परिसंपत्तियों को क्रिप्टो करेंसी में बदला गया, जिन्हें बाद में तुषार खरबंदा के नियंत्रण वाले वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया गया।

ईडी की जांच में पता चला कि तुषार खरबंदा ने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर, कई क्रिप्टो-वॉलेट में बिटकॉइन के रूप में 351.8605 बीटीसी (जिसका वर्तमान मूल्य 280 करोड़ रुपये है) जमा किए, जो अपराध से अर्जित आय (पीओसी) है। पीओसी को बाद में यूएसडीटी में बदला गया और कई वॉलेट और विभिन्न लोगों को फिएट करेंसी (नकद) में ट्रांसफर किया गया।

ईडी की जांच से पता चला है कि ये संपत्ति तुषार खरबंदा ने एक सूचीबद्ध अपराध के बाद खरीदी थीं, जिसमें फंड यूएई से हवाला/नॉन-बैंकिंग चैनल के ज़रिए भारत भेजा गया था। इसके अलावा, यूएई में तुषार खरबंदा ने कई संपत्तियाँ नगद में खरीदी हैं। यूएई में स्थित इन संपत्तियों में से, दो संपत्तियाँ जो अभी भी उसके नाम पर पंजीकृत हैं, उन्हें पीएमएलए, 2002 के तहत कुर्क कर लिया गया है।

इससे पहले, इस मामले में 06.08.2025 को तुषार खरबंदा और उसके साथियों से जुड़े अलग-अलग ठिकानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाए गए थे, जिससे यूएई और नोएडा में मौजूद कई अचल संपत्तियों के साथ-साथ क्रिप्टो एक्सचेंज में पड़ी क्रिप्टो करेंसी का पता चला था। क्रिप्टो करेंसी के रूप में 0.29 बीटीसी (09.09.2025 तक 28.90 लाख रुपये के समतुल्य मूल्य) के उस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साथ पीओसी को भी 10.09.2025 के पीएओ के तहत कब्जे में लेकर कुर्क कर लिया गया।

आगे की जांच चल रही है।